भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3852

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

सब्सिडी वाले अनाज का नष्ट होना

3852. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एक ऐसे नए अध्ययन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि डिजिटलीकरण के बावजूद भारत का गरीबों के लिए निर्धारित सब्सिडी वाले अनाज का लगभग 28 प्रतिशत लीकेज के कारण नष्ट हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस लीकेज के कारण राजकोष को कुल कितना नुकसान होने का अनुमान है; और

(ग) अनाज को अभीष्ट लाभार्थियों तक पहुंचाना और सरकार को होने वाली आर्थिक हानि से बचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत नियंत्रित होती है और यह केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत परिचालित होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकान के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कार्य-प्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं।

....2/-

लाभार्थियों तक 28 प्रतिशत खाद्यान्न नहीं पहुंचने की सूचना भ्रांतिपूर्ण है और इसमें उठान और वितरण को मिला दिया गया है। उठान से तात्पर्य राज्यों द्वारा केंद्रीय डिपुओं से उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा से है, जबकि वितरण से तात्पर्य लाभार्थियों तक इन खाद्यान्नों की सुपुर्दगी से है। उठान के आंकड़ों में पारगमन में स्टॉक, बफर आबंटन, प्रचालनात्मक रिजर्व और ओडब्ल्यूएस (अन्य कल्याणकारी स्कीमों) के लिए स्टॉक भी शामिल हैं, जिन्हें परिवारों को तुरंत वितरित नहीं किया जाता है। इन विशेष बातों को ध्यान में न रखने के कारण, लीकेज की रिपोर्ट के अनुमान मूलतः गलत हैं।

प्रौद्योगिकी संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर 99.8% राशन कार्डों को आधार संख्या के साथ जोड़ा गया है। देश में लगभग सभी उचित दर दुकानों को कवर करते हुए 5.41 लाख ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का प्रचालन किया जाता है। इन ई-पीओएस उपकरणों द्वारा वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण किया जाता है, जिससे उचित लक्ष्यीकरण का सिद्धांत लागू होता है। लगभग 98% खाद्यान्नों का वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे अपात्र लाभार्थियों तक लीकेज कम हो रही है और उचित लक्ष्यीकरण सुनिश्चित हो रहा है।

*****